भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3017

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

पिछली सीट की सीट-बेल्ट के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम

†3017. सुश्री सयानी घोष:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर संज्ञान लिया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138(3) के मौजूदा प्रावधानों के बावजूद, वाहनों में पीछे की सीट-बेल्ट का उपयोग बेहद कम है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पीछे की अनिवार्य सीट-बेल्ट कानूनों के अनुपालन स्तर का, विशेषकर शहरी क्षेत्रों और राजमार्गों पर आकलन करने के लिए कोई अध्ययन शुरू किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य-पीछे की सीट सहित सभी आगे की ओर वाली सीटों के लिए तीन-बिंदु वाई-आकार की सीट-बेल्ट अनिवार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का वाहन निर्माताओं के लिए अनिवार्य सुरक्षा सुविधा के रूप में यात्री वाहनों में पीछे की सभी सीटों के लिए सीट- बेल्ट रिमाइंडर अलर्ट को एकीकृत करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप की बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) और मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194ख में निहित प्रावधान सीट बेल्ट लगाने से संबंधित हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2022 में प्रकाशित सड़क दुर्घटना रिपोर्ट के अनुसार, सीट बेल्ट न लगाने वाले 16,715 व्यक्तियों की मौत हुई। 16,715 मौतों में से 8,384 (50.2%) चालक और 8,331 (49.8%) यात्री थे।

(ग) जैसा कि सीएमवीआर, 1989 के नियम 125 में अधिसूचित किया गया है, यात्री कार में, आपातकालीन लॉकिंग रिट्रैक्टर के साथ 3 प्वाइंट बेल्ट आगे की आउटबोर्ड सीट के लिए अनिवार्य है और अन्य सभी बैठने की पोजिशन के लिए रिट्रैक्टर के साथ या उसके बिना 2 प्वाइंट या 3 प्वाइंट बेल्ट अनिवार्य है।

भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी) अर्थात् वाहनों की सुरक्षा के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम के तहत मानदंडों में से एक 3 पॉइंट सीट बेल्ट लगाना है।

(घ) सा.का.नि. 1483 (अ), दिनांक 7 दिसंबर, 2017 के तहत 1 जुलाई, 2019 को और उसके बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में चालक और सह-चालकों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमांइडर आवश्यकताओं को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, सा.का.नि. 514 (अ), दिनांक 14 अगस्त 2024 के तहत 1 अप्रैल 2025 से एम1 श्रेणी के वाहनों के सभी आगे की ओर देखने वालों के लिए सीट बेल्ट रिमांइडर के कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया।

(ङ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए यह मामला उपभोक्ता कार्य मंत्रालय को भेज दिया गया है।

*****